राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1501/2024

डॉ. राजमल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग) के पद पर मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय, कोटा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को जिस स्थान पर लगाया गया है, वहां चिकित्सा अधिकारी (मनोरोग) का पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किया पारित किया गया है।
3. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा जिला चिकित्सालय, कोटा में मनोरोग चिकित्सक का एक पद स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है।
4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने जिला चिकित्सालय, कोटा में मनोरोग चिकित्सक का एक पद स्वीकृत होना बताया है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति कि

जिला चिकित्सालय, कोटा में मनोरोग चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं रह जाती है। ऐसे में यह तर्क कि अपीलार्थी का स्थानांतरण गलत किया गया है, माने जाने योग्य नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई नहीं पाते हैं। अतः यह अपील सारहीन हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)